

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(दण्ड प्रक्रिया सहिता धारा 154 के अन्तर्गत)

1. जिला भ्र.नि.ब्यूरो, बांसवाडा थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष, 2022
प्र.इ.रि.स..... 87/22 दिनांक 11.13.2022
2. (i) अधिनियम पीसी एक्ट 1988 धारायें - धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम, 2018
(ii) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता - एवं 120बी भा.द.स.
(iii) अधिनियम - धारायें -
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें -
3. (अ) रोमनामचा आम रपट संख्या 227 समय 11.25 P.M.
(ब) अपराध के घटने का दिन व समय : गुरुवार दिनांक 10.03.2022 समय 10.00 एएम
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक : 09.03.2022
4. सूचना की किस्म : लिखित/मौखिक : लिखित
5. घटना स्थल :
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दुरी : दक्षिण दिशा दुरी लगभग 540 किलो मीटर
(ब) पता : कलेक्ट्रेट परिसर बांसवाडा।
..... बीट संख्या जरायमदेही संख्या.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना सी0पी0एस0 जयपुर जिला चौकी भ्रनिब्यूरो, बांसवाडा
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :
(अ) नाम : - श्रीमती अन्जुम खान
(ब) पत्नी - श्री समीर खान
(स) जन्म तिथि/वर्ष - वयस्क
(द) राष्ट्रीयता : - भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या जारी होने की तिथि.....
जारी होने की जगह.....
(र) व्यवसाय - व्यवसाय
(छ) पता - इन्द्रा कोलोनी पुलिस थाना कोतवाली जिला बांसवाडा।
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
1. श्री सैयद आमीर अली पिता स्व. श्री सैयद महमूद अली उम्र 29 वर्ष जाति मुसलमान निवासी सी.-26
जवाहरनगर प्रतापगढ़ हाल डिप्टी जेलर जिला कारागृह बांसवाडा।
2. श्री अजहर अहमद पिता श्री जाहिद अहमद उम्र 33 वर्ष जाति मुसलमान निवासी इन्द्रा कोलोनी थाना कोतवाली
जिला बांसवाडा पेशा वकील(प्राइवेट व्यक्ति)।
8. शिकायत/सूचना देने वाले द्वारा सूचना देरी में का कारण : कोई विलम्ब नहीं
9. चुराई हुई/संलपित सम्पति का विवरण (अगर आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)
10. चुराई हुई सम्पति का कुल मूल्य : - 20000/- रुपये
11. मार्ग सूचना/अप्राकृति मृत्यु केस नंबर यदि कोई हो तो :-
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय वस्तु (मजमून)- आरोपीगण श्री सैयद आमीर अली डिप्टी जेलर जिला काराग्रह
बांसवाडा एवं श्री अजहर अहमद वकील(प्राइवेट व्यक्ति) ने आपस में मिलीभगत कर जेल बांसवाडा में बंद कैदी
परिवादिया श्रीमती अन्जुम खान के पति समीर खान एवं परिचित जुनैद खान को जेल में मारपीट नही करने एवं
जेल में कुछ काम नही करवाने तथा जेल में परिजनों को मिलाने के एवज में 30 हजार रुपये की रिश्वत मांग कर
दिनांक 09.03.2022 को मांग सत्यापन के दौरान 10 हजार रुपये आरोपी श्री अजहर अहमद द्वारा ग्रहण करना
तथा बकाया शेष रिश्वत राशि 20 हजार रुपये की मांग की पुष्टि होने पर दिनांक 10.03.2022 को ट्रेप कार्यवाही
आयोजित की जाकर आरोपी श्री अजहर अहमद को 20 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार
किया गया तथा कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री सैयद आमीर अली को भी डिटेन कर बाद पुछताछ कर गिरफ्तार
किया गया। आरोपीगण श्री सैयद आमीर अली डिप्टी जेलर जिला काराग्रह बांसवाडा एवं श्री अजहर अहमद
वकील(प्राइवेट व्यक्ति) के विरुद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) एक्ट, 2018 व 120बी भा.
द.स. का अपराध प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित है।

M

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
बांसवाडा।

विषय— रिश्वत मामले में पकड़वाने बाबत।

महोदय

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे पति श्री समीर खान पिता श्री कालु खान व हमारे परिचित श्री जुनैद खान को दिनांक 02.03.2022 को अवैध हथियार के मामले में पुलिस चौकी सुरजपोज थाना कोतवाली के एसआई श्री कल्याणसिंह व पुलिस जाप्ता द्वारा गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया गया। दिनांक 07.03.2022 को मेरे पति समीर खान व जुनैद को दिनांक 07.03.2022 को जेल बांसवाडा में बंद करवाया गया। आज दिनांक 09.03.2022 को मैं व मेरी बहन तब्बु पत्नि श्री जावेद खान करीब 12 बजे दिन में मिलने गये तो जेल वालो ने मुझे व बहन को मिलने नहीं दिया फिर हमें वहां जानकारी मिलि की जेल के जेलर आमीर अली बिना पैसे दिया वहां जेल में किसी को मिलने नहीं देता है और रिश्वत राशि हेतु सीधी बात नहीं करके वकील अजहर पिता जाहिद के माध्यम से रिश्वत राशि लेता है। रिश्वत राशि के संबंध में वार्तालाप भी अजहर वकील ही करता है जिस पर आज दिन अजहर वकील से मिले तो उसने कहा कि जेलर साहब आमीर अली से बात हो गयी है और कहा कि जेल में बंद मेरे पति समीर व जुनैद को किसी प्रकार की मारपीट जेल में नहीं करेंगे व जेल में कोई काम भी नहीं करने देंगे जिसके लिये जेलर साहब ने पहले तो 50 हजार रुपये मांगे थे पर मैंने उनको 30 हजार में राजी कर लिया है और रिश्वत राशि 30 हजार रुपये अभी देने है और राशि लेकर पुलिस थाना कोतवाली के आसपास बुलाया है। मैं जेलर साहब आमीर अली को 30 हजार रुपये अजहर वकील के माध्यम से नहीं देना चाहती हूं। आमीर जेलर व अजहर वकील के विरुद्ध आपके विभाग से पकड़वाने हेतु रिपोर्ट पेश कर रही कार्यवाही करें।
दिनांक 09.03.2022

प्रार्थीया

सही/—

अन्जुम खान पत्नि श्री समीर खान
निवासी इन्द्रा कोलोनी थाना कोतवाली
जिला बांसवाडा।
मो.नं. 8290587966

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 09.03.2022 समय 04.35 पीएम पर श्री पंकज कुमार कानि. को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जरिये दूरभाष निर्देशित किया गया कि श्रीमती अन्जुम नामक महिला परिवादिया किसी को रिश्वत मामले में पकड़वाना चाहती है जो शीघ्र ही ब्यूरो कार्यालय बांसवाडा उपस्थित आयेगी जिससे नियमानुसार प्रार्थना पत्र प्राप्त कर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करें। समय 05.20 पीएम पर परिवादिया श्रीमती अन्जुम खान पति श्री समीर खान निवासी इन्द्राकोलोनी थाना कोतवाली जिला बांसवाडा ब्यूरो इकाई उपस्थित आई। परिवादिया द्वारा एक लिखित प्रार्थना पत्र श्री पंकज कुमार कानि. इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि "मेरे पति श्री समीर खान पिता श्री कालु खान व हमारे परिचित श्री जुनैद खान को दिनांक 02.03.2022 को अवैध हथियार के मामले में पुलिस चौकी सुरजपोज थाना कोतवाली के एसआई श्री कल्याणसिंह व पुलिस जाप्ता द्वारा गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया गया दिनांक 07.03.2022 को मेरे पति समीर खान व जुनैद को दिनांक 07.03.2022 को जेल बांसवाडा में बंद करवाया गया। आज दिनांक 09.03.2022 को मैं व मेरी बहन तब्बु पत्नि श्री जावेद खान करीब 12 बजे दिन में मिलने गये तो जेल वालो ने मुझे व बहन को मिलने नहीं दिया फिर हमें वहां जानकारी मिलि की जेल के जेलर आमीर अली बिना पैसे दिया वहां जेल में किसी को मिलने नहीं देता है और रिश्वत राशि हेतु सीधी बात नहीं करके वकील अजहर पिता जाहिद के माध्यम से रिश्वत राशि लेता है। रिश्वत राशि के संबंध में वार्तालाप भी अजहर वकील ही करता है जिस पर आज दिन अजहर वकील से मिले तो उसने कहा कि जेलर साहब आमीर अली से बात हो गयी है और कहा कि जेल में बंद मेरे पति समीर व जुनैद को किसी प्रकार की मारपीट जेल में नहीं करेंगे व जेल में कोई काम भी नहीं करने देंगे जिसके लिये जेलर साहब ने पहले तो 50 हजार रुपये मांगे थे पर मैंने उनको 30 हजार में राजी कर लिया है और रिश्वत राशि 30 हजार रुपये अभी देने है और राशि लेकर पुलिस थाना कोतवाली के आसपास बुलाया है। मैं जेलर साहब आमीर अली को 30 हजार रुपये अजहर वकील के माध्यम से नहीं देना चाहती हूं। आमीर जेलर व अजहर वकील के विरुद्ध आपके विभाग से पकड़वाने हेतु रिपोर्ट पेश कर रही कार्यवाही करें।" परिवादिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के संबंध में कानि. द्वारा आवश्यक जानकारी प्राप्त कर परिवादिया की जरिये मोबाईल मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय से वार्तालाप करायी गई। परिवादिया ने उक्त प्रार्थना अपनी स्वयं की हस्तलिपि में होना बताया गया। परिवादिया ने यह भी बताया कि वार्तालाप के समय मेरी बहन श्रीमती तब्बु भी मेरे साथ वार्तालाप के समय उपस्थित रहेगी आज अजहर से मिले थे तब भी मेरी बहन साथ में थी। जिस पर कानि ने कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखे हुये डिजीटल टेप रिकोर्ड को निकालकर उसके संचालन की विधी से परिवादिया को मलीभांती अवगत कराया गया उसके रखरखाव के बारे में भी बताया गया तथा टेप रिकोर्ड सुपुर्द किया गया। समय 05.55 पीएम पर परिवादिया श्रीमती अन्जुम एवं श्री पंकज कुमार कानि. ब्यूरो कार्यालय से रिश्वत मांग सत्यापन हेतु खाना होकर पुलिस थाना

W